

न्यायालय-ए०के०गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक०क्र०-378/17

संस्थित दिनांक-16.08.17

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद

जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....अभियोगी

**विरुद्ध**

दामोदर उर्फ दानवीर पुत्र भवानी बघेल

उम्र 21 साल, निवासी जखारा थाना गोहद

जिला भिण्ड म०प्र०

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

**{आज दिनांक 12.01.18 को घोषित}**

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 एवं 146/196 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.17 को 17:00 बजे लालबहादुर पुरा के पास मौ गोहद रोड पर अपने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-07 एम०पी०-1999 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के परिचालन किया।

2. प्रकरण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि फरियादी एवं आहतगण द्वारा अभियुक्त से राजीनामा कर लिए जाने के आधार पर भादवि० की धारा 337 तीन काउण्ट का उपशमन किया गया। इस निर्णय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181 एवं 146/196 के आरोपों में निष्कर्ष दिया जा रहा है।

3. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 25.04.17 को शाम 5 बजे फरियादी अपनी मोटरसाईकिल एम०पी०-30 एम०एल०-2811 से अपनी माँ शीला एवं पत्नी ज्योति के साथ ग्राम रजपुरा जा रहा था। जैसे ही लालबहादुर के पुरा के पास पहुंचा तो मौ तरफ से आ रही मोटरसाईकिल एम०पी०-07 एम०पी०-1999 के चालक द्वारा उपेक्षा व उतावलेपन से चलाकर उसकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी जिससे फरियादी एवं आहतगण शीला व ज्योति को चोटें आई। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप०क्र० 84/17 पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान, आहतगण के चिकित्सीय परीक्षण कराए गए, नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, वाहन

जब्त कर जब्ती पत्रक, अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिर० पत्रक बनाया गया, मैकेनिकल जांच कराई गयी बाद अनुसंधान अभियोग पत्र पेश किया गया।

4. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य न होने से दफ्तर की धारा 313 के अधीन परीक्षण नहीं कराया गया।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं –

1—क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.04.17 को 17:00 बजे लालबहादुर पुरा के पास मौ गोहद रोड पर अपने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-07 एम०पी०-1999 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2—क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के परिचालन किया ?

#### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अरविंद अ०सा० 1, शीला अ०सा० 2, ज्योति अ०सा० 3, नारायणसिंह अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गई है। प्रकरण में तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एकसाथ किया जा रहा है।

7. फरियादी अरविंद अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना एक साल पुरानी शाम के 5 बजे की है। वे अपनी माँ शीला एवं पत्नी ज्योति को मोटरसाईकिल क्र० एम०पी० 30 एम०एल०-2811 से अपने गांव रजपुरा जा रहे थे इतने में लालबहादुर के पुरा मौ रोड पर पहुंचे तो एक मोटरसाईकिल ने उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मार दी। अपने अभिसाक्ष्य में उक्त मोटरसाईकिल का नंबर, उसके चालक का नाम बताने में अस्मर्थ हैं। साक्षी दुर्घटना में उसे, पत्नी ज्योति एवं मां शीला को चोटें कारित होने का कथन करते हैं। घटना के संबंध में रिपोर्ट प्र०पी० 1 लिखाए जाने का भी कथन करते हैं। आहत शीला अ०सा० 2 एवं ज्योति अ०सा० 3 भी फरियादी अरविंद के समान ही कथन करते हुए उनकी मोटरसाईकिल की एक मोटरसाईकिल से टक्कर होना बताती है किन्तु कौनसी मोटरसाईकिल से टकराए, उसका कोई नंबर उसके चालक का नाम या पहचान बताने में अस्मर्थ हैं। फरियादी अरविंद द्वारा घटना की रिपोर्ट प्र०पी० 1 के रूप में किया जाना और उस पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है।

8. प्रकरण में आहतगण को अभियोजन द्वारा उनके मामले का समर्थन न किए जाने से पक्ष विरोधी घोषित कर दिया गया। उक्त साक्षीगण अपने अभिसाक्ष्य में सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी इस

सुझाव से इंकार करते हैं कि मोटरसाईकिल क्र० एम०पी०-07 एम०पी०-1999 के चालक दामोदर द्वारा उनकी मोटरसाईकिल में टक्कर मारी गयी थी। आहतगण न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त के वाहन चालक के रूप में होने के संबंध में भी इंकार करते हैं। स्वयं आहतगण द्वारा अभिकथित दुर्घटना शाम के 5 बजे वाहन चालक को न पहचान पाना और अभियुक्त के रूप में उसकी पहचान न करने का तथ्य अभियोजन के मामले को संदिग्ध बना देता है। आहतगण में से किसी के द्वारा अभिकथित दुर्घटना में लिप्त वाहन के उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। ऐसे में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला दुर्बल हो जाता है।

9. प्रकरण में अभियोजन की ओर से वाहन स्वामी नारायणसिंह अ०सा० 4 को प्रस्तुत किया गया जो घटना दिनांक 25.04.17 को उसकी मोटरसाईकिल को जब्त कर लेने और कागज दिखाकर हस्ताक्षर करा लिए जाने का कथन करते हैं। उक्त साक्षी द्वारा अभियुक्त के वाहन मोटरसाईकिल एम०पी०-07एम०पी०-1999 को उपेक्षा व उतावलेपन से चलाए जाने के तथ्य से इंकार किया गया है। सर्वप्रथम तो यह साक्षी चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं और अनुश्रुत साक्षी होने पर भी वह प्र०पी० 6 के प्रमाणीकरण से इंकार कर रहा है ऐसी दशा में उसकी अपुष्ट साक्ष्य अभियोजन के मामले को प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं। पुलिस रिपोर्ट प्र०पी० 1 तथा पुलिस कथन क्रमशः प्र०पी० 3 लगायत 5 में आहतगण द्वारा सारवान विरोधाभास एवं लोप दर्शित किए हैं ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन का मामला संदेहास्पद हो जाता है।

10. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात् यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उसने दिनांक 25.04.17 को 17:00 बजे लालबहादुर पुरा के पास मौ गोहद रोड पर अपने वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम०पी०-07 एम०पी०-1999 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया तथा उक्त वाहन को बिना चालन अनुज्ञप्ति एवं बिना बीमा के परिचालन किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 279 एवं मोटरयान अधि० की धारा 3/181, 146/196 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11. अभियुक्त की जमानत भारहीन की गयी, उसके निवेदन पर मुचलका निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगा।

12. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन पूर्व से सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि बाद बंधनमुक्त हो। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

13. अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि, यदि कोई हो, तो उसके संबंध में धारा 428 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,  
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित  
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

ए०के० गुप्ता  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश